



कनकुनी जमीन विवाद में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाही के निर्देश रायगढ़ के जिला कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के समक्ष हुए पेश

Posted On: 09 MAY 2017 5:02PM by PIB Delhi

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कुनकुनी ग्राम में आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामलों में रायगढ़ के जिला कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक नई दिल्ली में केंद्रीय अनुसूचित आयोग के समक्ष पेश हुए।

राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामलों में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई की वर्तमान स्थिति की जानकारी आयोग को दें। साथ ही सभी प्रकरणों में अनुसूचित जनजातियों से नियम विरुद्ध ली गई भूमि मूल भू-स्वामियों को वापस करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य भू-राजस्वसंहिता की धारा 170 (1 एवं 2) के तहत दर्ज प्रकरणों के अतिशीघ्र निपटान के संबंध में तत्परता से कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को भेजें। इसके अलावा उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि जिन मामलों में कलेक्टर की अनुमति से अनुसूचित जनजातियों की भूमि का हस्तांतरण किया गया है, उनमें भू-स्वामियों को वास्तव में भुगतान की गई राशि की जानकारी दी जाए। जिन मामलों में कलेक्टर से अनुमति लिए बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया है, ऐसे मामलों को रद्द कर मूल भू-स्वामियों को भूमि वापस करने की कार्रवाई की जाए। यदि भूमि किसी कम्पनी के नाम कर दी गई है तो उसे भी मूल भू-स्वामी को वापस किया जाए तथा राजस्वरिकॉर्डों में मूल भू-स्वामी का नाम वापस दर्ज किया जाए। बेनामी क्रय की गई संपत्ति की पहचान कर उसे मूल भू-स्वामियों को वापस करने की कार्रवाई भी की जाए।

आयोग ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे जयलाल राठिया की मृत्यु के संबंध में उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच करें कि वे मृत्यु से पहले किन व्यक्तियों से मिले थे, कहाँ-कहाँ गये थे, उन्हें किन व्यक्तियों द्वारा धमकियाँ दी जा रही थीं तथा उनकी सुरक्षा को किन लोगों से खतरा था। पुलिस उनकी मोबाइल कॉल डिटेल एवं उनके साथ रहने वाले लोगों से पूछताछ कर इस संबंध में जानकारी जुटाए एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करें एवं पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं।

आयोग ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि जिन प्रकरणों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के साथ छल करके उनकी जमीन अन्य वर्ग के व्यक्तियों ने हस्तांतरित करा ली है, ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और इसकी जानकारी आयोग को भी दी जाए।

आयोग ने मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर से रेलवे साइडिंग हेतु अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहण / क्रय विक्रय के संबंध में विस्तार से जानकारी मांगी एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में 300 एकड़ कुनकुनी जमीन विवाद को प्रकाश में लाने वाले जयलाल राठिया की 17 मार्च को अचानक मौत हो गई थी। समाचारों में कहा गया कि मृतक आदिवासी किसान नेता ने भू माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और उनके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के कर दिया गया, जिससे संदेह पैदा हुआ।

समीर/जितेंद्र/सुमन-1307

(Release ID: 1489535) Visitor Counter : 12

